



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3836]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 28, 2018/आश्विन 6, 1940

No. 3836]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 28, 2018/ASVINA 6, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2018

का.आ. 5015(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 30 सितम्बर, 2018 को, भारत की लोक लेखा के ब्याज उपचारित करने वाले खंड के अधीन मुख्य शीर्ष 8121—‘साधारण और अन्य आरक्षित निधियों’ के नीचे एक भिन्न लघु शीर्ष 128—‘राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (एनसीएएफ)’ के अधीन राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि के नाम से ज्ञात एक विशेष निधि की स्थापना की तारीख के रूप में नियत करती है।

[फा.सं. 11-100/02015-एफसी (वॉल-III)],

दीपक कुमार सिन्हा, वन महानिरीक्षक

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2018

S.O. 5015(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (38 of 2016), the Central Government hereby appoints the 30<sup>th</sup> day of September, 2018, as the date of establishment of a special Fund called the National Compensatory Afforestation Fund under interest bearing section of Public Account of India under a distinct Minor head 128- ‘National Compensatory Afforestation Fund (NCAF)’ below the ‘Major Head 8121- ‘General and other Reserve Funds’.

[F. No. 11-100/2015-FC (Vol. III)]

DEEPAK KUMAR SINHA, Inspector General of Forest